(7)

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण कमांक I/निगरानी/छतरपुर/26-27/2017/3553 सन 2017

1. हरीशंकर अग्रवाल उम्र 72 वर्ष तनय स्व0 रामकृपाल अग्रवाल
2. पंकज नारायण अग्रवाल उम्र 42 वर्ष तनय हरीशंकर अग्रवाल
3. सूरज नारायण अग्रवाल उम्र 32 वर्ष तनय हरीशंकर अग्रवाल

निवासीगण ग्राम खजुराहो तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0

.....प्रार्थीगण / निगरानीकर्तागण

बनाम

शासन म0प्र0

.....अनावेदक / उत्तरवादी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 25/09/17 पारित अंतर्गत प्रकरण कमांक 06/अ–68/2016–17 न्यायालय तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर म0प्र0 से परिवेदित होकर

महोदय,

निगरानीकर्तागण निम्न तथ्यों व आधारों पर यह निगरानी सविनय प्रस्तुत करते हैं:–

निगरानी के तथ्य

संक्षेप में मामला यह है कि अधीनस्थ तहसीलदार राजनगर द्वारा हल्का पटवारी खजुराहो के प्रतिवेदन के आधार पर निगरानीकर्तागण को कारण बताओ नोटिस इस आशय का जारी किया गया है, कि भूमि खसरा नंबर 1735/1/1, 1735/2, 1735/8 रकवा कमशः 0.266, 0.024, 0.491 हैक्टेयर में से रकवा करीब 0.400 हैक्टेयर भूमि स्थित खजुराहो पर निगरानीकर्ता द्वारा अनाधिकार कब्जा किया गया है, उक्त कारण बताओ नोटिस मे बिना विर्निदिष्ट भाग को दर्शाए और मौके पर बिना किसी सर्वेक्षण के पटवारी प्रतिवेदन को आधार मानकर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, वह स्पष्टतः संहिता में वर्णित प्रावधान एवं प्रकिया के विपरीत है, इस कारण से निगरानीकर्तागण द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र को निरस्त किए जाने

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3553 हरीशंकर विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक हरीशंकर व अन्य की ओर से अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा तहसीलदार तहसील राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 06/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 03-10-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

17/12

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 17.12.18 सदस्य	